:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी के पत्र संख्या 53/उ0का0/3भू0अ0 दिनांक 05 अप्रैल 2022 के द्वारा विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना-लम्बगॉंव-उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर-सिल्याण-निरकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि के सापेक्ष तहसील डुण्डा के ग्राम गोरसाडा तथा ग्राम मट्टी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.250 है0 सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी डुण्डा से आख्या प्राप्त की गयी । उप जिलाधिकारी डुण्डा ने नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्या पत्र संख्या 10/र0का0/क्षति0वृक्षा0भूमि हस्ता0/2022 दिनांक 20 अप्रैल 2022 को संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए अवगत कराया गया कि तहसील डुण्डा के ग्राम मट्टी में खसरा संख्या 3285 रक्वा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाडा में खसरा संख्या 1961 रक्वा 1.991है0 भूमि का सम्पूर्ण रक्वा पूर्व ही जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरित कर दर्ज अभिलेख है। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, डुण्डा/नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्यानुसार मात्र ग्राम मट्टी में उत्तरखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ङ में दर्ज भूमि खसरा संख्या 3284म. रक्वा 0.173 है0 भूमि को उपरोक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसारशासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाडी के अनुरोध पत्र एवं उप जिलाधिकारी, डुण्डा/नायब तहसीलदार धौन्तरी की आख्यानुसार तहसील डुण्डा के ग्राम मट्टी में भल्डियाना-लम्बगॉंव-उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर-सिल्याण-निरकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि के सापेक्ष खसरा संख्या 3285 रक्वा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाडा में खसरा संख्या 1961 रक्वा 1.991है0 भूमि कुल रक्वा 4.077 है0 भूमि पूर्व ही वन विभाग के नाम हस्तांतरित है के अतिरिक्त ग्राम मट्टी में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ङ में दर्ज भूमि खसरा संख्या 3284म. रक्वा 0.173 है0 भूमि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांकः- 04/05/2022

ह0-

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 5050 /ग्यारह-विविध /2020-21 दिनांक 11 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
2- उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।
3- नायब तहसीलदार, धौन्तरी ।
4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी 12/5/22

प्रेषक,

नायब तहसीलदार
उप तहसील धौन्तरी।

सेवामें,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

द्वारा उचित माध्यम।

संख्या 10/र0का0/क्षति0वृक्षा0 भूमि हस्ता0/2022, दिनांक 20 अप्रैल 2022

विषयः– **उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना–लम्बगांव–उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर–सिल्याणा–निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125है0 वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र संख्या 4221/ग्यारह – विविध (2021–22) दिनांक 07 अप्रैल 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0लोक निमार्ण विभाग भटवाड़ी उत्तरकाशी ने मा0 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना – लम्बगांव –उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर –सिल्याण –निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उप तहसील धौन्तरी के ग्राम मटटी में खसरा संख्या 3284 रक्वा 0.173 है0,खसरा संख्या 3285 रक्वा 2.086है0 तथा ग्राम गोरसाड़ा में खसरा संख्या 1961 रक्वा 1.991है0 कुल 4.250है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर वन विभाग को प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त चिन्हित खसरा नम्बरानो का राजस्व उप निरीक्षक से जांच करवायी गई है।

यह कि राजस्व उप निरीक्षक की जांच आख्या/भू–अभिलेखों के आधार पर ग्राम मटटी में खसरा नम्बर 3285 रक्वा 2.086है0 ग्राम गोरसाडा में खसरा नम्बर 1961म0 रक्वा 1.991है0 भूमि का सम्पूर्ण रक्वा जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित होकर दर्ज अभिलेख है। खतौनी नकल अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः ग्राम मटटी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व का खसरा नम्बर 3284म0 रक्वा 0.173 है0 भूमि जो अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड में दर्ज है भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसको नक्शे पर लाल रोश्नाई से प्रदर्शित कर नक्शा/खतोनी नकल संलग्न कर भूमि हस्तांतरण आख्या संस्तुति सहित सेवामें सादर प्रेषित।

संलग्न– नक्शा, खसरा, खतौनी नकल, मय र0उ0नि0 की जांच आख्या, सहित कुल – 05 वरक

महोदय,

NT (Dh) की आख्या संस्तुति सहित सेवा में अग्रसारित।

23/4/22

नायब तहसीलदार
उप तहसील धौन्तरी।

सेवा में
श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,
उप-तह- धौंतरी

विषय — उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में अतिडयाना - लम्बगाँव - उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर - सिलयारा - निरकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है० भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो० नि० विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय
संलग्न कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं० 4221 / उन्नीस - विविध (2021-22) दिनांक 07 अप्रैल 2021 उपरोक्त विषयक के क्रम में तह० डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम-मही में खस० नं० 3284 रकबा 0.173 है० व 3285 रकबा 2.086 है० तथा ग्राम औरसाना में खस० नं० 1961 रकबा 1.991 है० कुल 4.250 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर वन विभाग को प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया गया है के क्रम में वन विभाग के कार्मिक वन दरोगा सिंगोली धार के साथ भू-~~अभिलेखों~~ अभिलेखों के आधार पर मौका पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया ग्राम ~~मही~~ औरसाना खस० नं० 3285 रकबा 2.086 है० भूमि खस० नं० 1961 व 1.991 व ग्राम-मही खस० नं० के आदेशानुसार क्षतिपूरक श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरण कर खतौनी में दर्ज अभिलेख है ग्राम मही में ख० नं० 3284 मा० खतौनी नकल अवलोकनार्थ संलग्न है ग्राम मही 1(3) म० NON Z. A. के रकबा 0.173 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5(3) जिसको मौके पर वन कार्मिक रकबा नं० 22 में दर्ज अभिलेख है सिंगोली दाख को बताया गया है

अतः ख० नं० 3284 रकबा 0.173 है० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की है जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरण बाबत संस्तुति सहित रिपोर्ट सेवा में ~~[illegible]~~ नक्शा खतौनी संलग्न कर प्रेषित

ह०
रा० उ० नि०
नयुकरी / दसेढ़
21/04/2022

नक्शा ग्राम पति मौजा मही पट्टी - गागला उप तह- थौलधार उक्त भू-भाग का जो
क्षतिपूरक वृक्षारोपण / हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित

पैमाना 64" = 1 मील

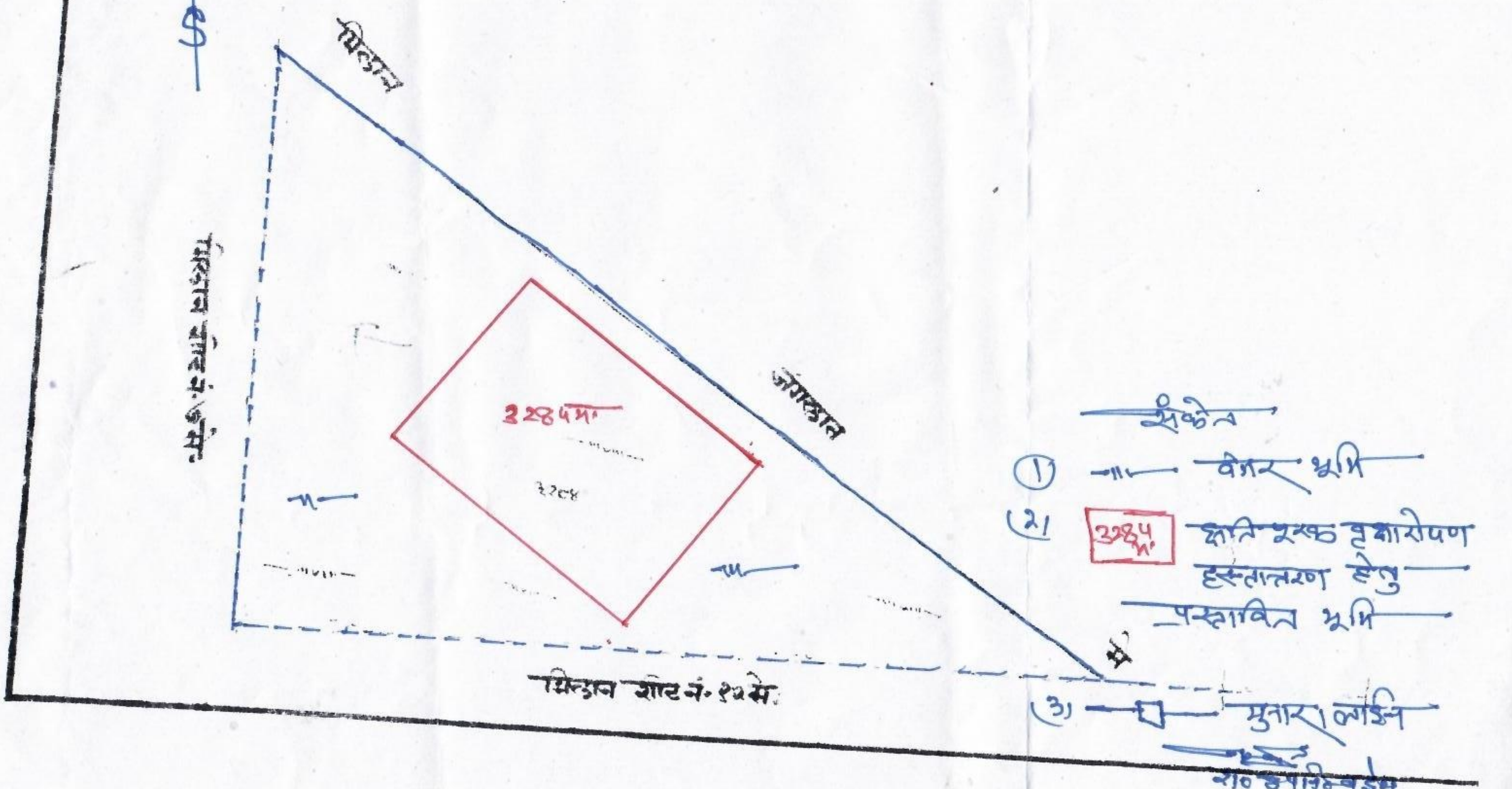

रा० उपनिरीक्षक
पट्टी - गागला
उप तह० - थौलधार
हस्ताक्षर
19/04/2022

उद्धरण ना.ज.ख. खतौनी ग्राम- मट्टी पट्टी-गाजणा उपतहसील=चौरंगी जिला- उत्तरकाशी।

भूलेख प्रपत्र सं0 प-11 श्रेणी 9(3) ड. — फ.1424 से 1429 फ.

27.	उत्तराखण्ड सरकार	2	0.038		2445	0.070
	श्रेणी 9(3) ड. do	4	0.004		do	do
		7म	0.045		2528	0.010
		do	do		do	do
		do	do		2647	0.023
		40म	0.241		do	do
		do	do		3099	0.023
		160	0.008		3108	0.070
		do	do		do	do
		262	0.049		3284	0.256
		do	do		do	do
		395	0.019	मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश R.49 पी.सी.2013 दिनांक जनवरी 2013 में ग्राम-मट्टी के ना.ज.ख. खसरा नं. 3285 रकबा 2.086 है. वनभूमि हेतु वन विभाग के नाम स्थानान्तरण आदेश दर्ज किया।	3285	2.086
		do	do		3288	0.010
		629	0.619		do	do
		do	do	ह० पटवारी रा० उ०नि० (भटवाड़ी)	3312	0.080
		1226	0.025		do	do
		do	do		67/2402	0.018
		1939	0.030	कुल योग-	369	60.073
		do	do			
		2094	0.093	उद्धरण ग्राम ना.ज.ख. खतौनी आज्ञा की तौबद नकल की गयी।		
		do	do			
		2316	0.39	ह० राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी- गाजणा उपत०- चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी		
		do	do	14.09.2022		

भूलेख प्रपत्र सं0 प-11

उद्धरण नकल सं.2.म खतौनी ग्राम- गरिसाड़ा पट्टी- गाजणा उपतहसील चिन्यालीसौड़(?) जिला - उत्तरकाशी 2

श्रेणी - वर्ग 9(3) ड. । 1429फ. से 1434फ तक

22.	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड. 〃	3	0.018
		31	0.176
		〃	〃
		149	0.016
		〃	〃
		1013	0.029
		〃	〃
		1550	0.014
		〃	〃
		1753	0.034
		〃	〃
		1898	0.023
		1911	1.000
		1926 मि.	0.200
		〃	〃
		〃	〃
		1961 मि.	1.991
		1963	0.647
		〃	〃
		2147	0.051
		〃	〃
		2180 मि.	3.591
	सम्पूर्ण योग	130	15.349

मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उ० काशी के आदेश [illegible] ग्राम- गरिसाड़ा सं.2.म. के खसरा नं. 1961 मि. रकबा 1.991 है० भूमि [illegible] हेतु [illegible] के नाम [illegible] अंकित किया गया।

[illegible]
[illegible]

उद्धरण नकल खतौनी असल से मिलान कर लिखी गयी है।

[illegible]
[illegible]
पट्टी - गाजणा
उपतह0 - [illegible]
जिला - उ0 काशी
27/04/2022